

कार्यालय कलेक्टर जिला मण्डला एवं पदेन उप सचिव, म.प्र.शासन राजस्व विभाग

क्रमांक/भू-अर्जन/01(अ-82)/2020-21/ 44

मण्डला दिनांक 9/08/2021

धारा-11

जिला पंचायत  
पत्रिका का नाम EGovernemense  
अधिसूचना 109  
प्रकारी अति

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
मंडला	मंडला	सुनेहरामाल प.ह.नं. 09	3.48	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग(भ/स) संभाग मंडला	हवाई पट्टी विस्तारीकरण हेतु

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [WWW.mandla.nic.in](http://WWW.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट [WWW.mprevenue.nic.in](http://WWW.mprevenue.nic.in) पर भी देखी जा सकती है।

2. भूमि पर नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) मंडला या कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग(भ/स) संभाग मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(श्रीमति हरिका सिंह)

कलेक्टर मण्डला, एवं पदेन उप सचिव,  
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

मण्डला दिनांक 9/08/2021

पृ.क्रमांक/भू-अर्जन/01(अ-82)/2020-21/ 44 A

प्रतिलिपि:-

1. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स भोपाल को म.प्र. राजपत्र भाग-1 के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, सूचना तथा प्रकाशन विभाग, भोपाल को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया प्रकाशन उपरांत एक-एक प्रति भेजने का कष्ट करें।
3. जिला प्रबंधक, ई-गवर्नेंस, जिला-पंचायत मंडला को शासकीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
4. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग(भ/स) संभाग मंडला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. अनुविभागीय अधिकारी(रा०) मंडला को एक प्रति तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत/ ग्राम के सहजगोचर स्थान पर चस्पा कराने हेतु प्रेषित।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(श्रीमति हरिका सिंह)

कलेक्टर मण्डला, एवं पदेन उप सचिव,  
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग